

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-286/2011
 संस्थित दिनांक-20.05.11
 फाईलिंग क.234503001032011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

रंजित जोहन पिता जोहन हरपाल, उम्र-40 वर्ष,
 निवासी-ग्राम उकवा, थाना रूपझर,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27/09/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं 304ए भा. द.वि. एवं धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-21.02.11 को 19:30 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत रेंज ऑफिस चौक के पास उकवा डिपो के सामने लोकमार्ग पर वाहन टी.व्ही.एस. विक्टर क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहति कारित की, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक देवेन्द्र की मृत्यु ऐसी कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती, उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मुकेश पटले ने दिनांक-21.02.2011 को पुलिस चौकी उकवा अंतर्गत थाना रूपझर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम को लगभग 7:30 बजे वह देवेन्द्र बर्वे के साथ इनवर्टर फीटिंग करने बैहर गया था और जब वे वापस नवेगांव जा रहे थे तब मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम. बी-5877 जिसे देवेन्द्र बर्वे चला रहा था और वह पीछे बैठा हुआ था। उकवा रेंज ऑफिस के पास एक व्यक्ति मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए-5082 टी.व्ही.एस. विक्टर को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उन लोगों टक्कर मार दी, जिससे देवेन्द्र बर्वे को सिर, चेहरे तथा हाथ पर चोट आई थी और उसे भी पैर में चोट आई थी। घटना के बाद देवेन्द्र बेहोश हो गया था। ठोकर मारने वाले व्यक्ति का नाम रंजित निवासी ग्राम उकवा पता चला था। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस

चौकी उकवा द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसे असल नंबर हेतु थाना रूपझर भेजा गया, जहां आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-24/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मोटरयान अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान मृतक देवेन्द्र की मृत्यु हो जाने से एवं घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन का बीमा न होने से आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं 304ए एवं धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-21.02.11 को 19:30 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत रेंज ऑफिस चौक के पास उकवा डिपो के सामने लोकमार्ग पर वाहन टी.व्ही.एस. विक्टर क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत मुकेश को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मृतक देवेन्द्र की मृत्यु ऐसी कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मुकेश पटले अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक-21.02.2011

की शाम के 7:00-7:30 बजे की है। वह मृतक देवेन्द्र के साथ मोटरसाईकिल से बालाघाट जा रहा था, तभी उकवा रेंज ऑफिस के सामने आरोपी अपनी मोटरसाईकिल तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसे टक्कर मार दी थी। घटना आरोपी की गलती से हुई थी, जिससे उसके पैर पर चोट आई थी और देवेन्द्र को सिर और नाक में चोट आई थी। एम्बुलेंस से उसे और देवेन्द्र को बालाघाट ले जाया गया था। उसने घटना के संबंध में पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट लेख कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताए अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा नहीं बनाया था, परंतु मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी की मोटरसाईकिल जप्त नहीं की थी, परंतु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत देवेन्द्र को ईलाज के लिए नागपुर ले जाया गया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने दुर्घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने पुनः यह कहा है कि उसे अंदाजा हो गया था कि गाड़ी तेज गति से चल रही थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल घुमावदार व उतार वाला स्थान है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि वह अपनी तरफ की रोड़ छोड़कर दूसरी तरफ रोड़ पर चले गया था, इसलिए दुर्घटना हुई थी।

6— भाउदास अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि मृतक देवेन्द्र उसका लड़का था। घटना उसके बयान देने के लगभग दो वर्ष पूर्व की है। उसे मुकेश पटले ने बताया था कि देवेन्द्र की दुर्घटना हो गई है। उसके लड़के देवेन्द्र की नागपुर में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसे मुकेश ने बताया था कि आरोपी रंजित ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की थी। साक्षी ने अपना पुलिस कथन पुलिस को लेख कराने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखी।

7— अभियोजन साक्षी जगदीश गोखाम अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-21.02.11 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता मुकेश पटले की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध क्रमांक-0/11, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. प्रदर्श पी-1 लेख की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था। प्रधान आरक्षक लक्ष्मी चौधरी द्वारा असल कायमी की गई थी, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसके अ से अ भाग पर लक्ष्मी चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। विवेचना के दौरान

उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 मुकेश की निशानदेही पर तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष एक सफेद रंग की टी.व्ही.एस. मोटरसाईकिल जिसका नंबर एम. पी-50/बी.ए-5082 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया गया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत देवेन्द्र एवं मुकेश को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था तथा दिनांक-21.02.11 को साक्षी बब्लू आहत मुकेश के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-27.03.11 को आरोपी रंजित से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-5 अनुसार मोटरसाईकिल की आर.सी. बुक, ड्राईविंग लायसेंस जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उक्त वाहन का बीमा नहीं होने से अंतिम प्रतिवेदन में धारा-146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी मनोज, भाउदास के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। मृतक देवेन्द्र की मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी-10 है, जिसके अ से अ भाग पर लक्ष्मी चौधरी के हस्ताक्षर हैं। मृतक देवेन्द्र की पी.एम. रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, मर्ग खबरी एवं मृतक की भर्ती पर्ची प्राप्त होने पर समस्त दस्तावेज चालान के साथ संलग्न किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इस दुर्घटना में आरोपी को भी चोटें आई थी। साक्षी ने कहा है कि इस प्रकरण का काउन्टर प्रकरण भी दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि दुर्घटना मृतक देवेन्द्र की गलती से हुई थी।

8— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी योगेन्द्र दुबे अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसने स्वयं के समक्ष जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने वाहन क्रमांक-एम. पी-50-बी.ए-5082 प्रदर्श पी-5 अनुसार कागजातों की जप्ती अपने सामने होने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी भाउदास अ.सा.5, प्रदीप अ.सा.4, मनोज बर्वे अ.सा.3, बब्लू गायकवाड़ अ.सा.2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानते हैं, परंतु उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी बब्लू गायकवाड़ अ.सा.2 ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को लेख कराए जाने से इंकार किया है। साक्षी मनोज बर्वे अ.सा.3 ने कहा है कि उसने दुर्घटना अपनी आंखों से नहीं देखा। साक्षी प्रदीप अ.सा.4 ने स्वयं के समक्ष जप्ती तथा गिरफ्तारी की कार्यवाही होने से इंकार किया है।

9— दुर्घटना के विषय में यदि विचार किया जावे तो साक्षी मुकेश पटले अ.सा.1 ने यह कहा है कि आरोपी तेज गति से वाहन चलाकर लाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसे अंदाजा हो गया था कि आरोपी वाहन को तेज गति से चला रहा था, साथ ही साथ यह भी कहा है कि आरोपी सामान्य गति से वाहन चला रहा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जिस स्थान में दुर्घटना हुई थी वह घुमावदार व उतार वाला स्थान था। विवेचक ने यह कहा है कि घटना के विषय में काउन्टर प्रकरण भी दर्ज किया गया है। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 देखने से यह प्रतीत होता है कि जिस स्थान में दुर्घटना हुई थी, वहां सड़क पर एक घुमाव था और जिस स्थान पर दुर्घटना होना बताया गया है वह सड़क के बीचोंबीच का स्थान है। इस प्रकार आरोपी सड़क की गलत दिशा में वाहन चला रहा था, यह बात मौकानक्शा से दर्शित नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य चक्षुदर्शी अभियोजन साक्षी ने घटना का समर्थन कर यह नहीं कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी रंजित वाहन क्रमांक एम. पी-50/बी.ए-5082 को अत्यधिक तेज गति व उतावलेपन से चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के विषय में काउन्टर प्रकरण भी दर्ज किया गया था, ऐसा अभिलेख से प्रकट हो रहा है। घटना का पूर्ण समर्थन किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने जिसने स्वयं यह घटना देखी हो, नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है, इसलिए आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-

10— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 एवं 304ए के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। साक्षी मुकेश पटले अ.सा.1 ने यह कहा है कि दुर्घटना में उसे पैर में चोट आई थी। प्रकरण में चिकित्सक साक्षी डॉ. निलय जैन अ. सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि दिनांक-22.02.2011 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक लिखेन्द्र बिसेन द्वारा आहत मुकेश पिता प्रेमलाल पटले को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसकी सीधी एड़ी तथा बाएं कान में चोट थी, जिसका परीक्षण कर उसने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि आहत को आई चोट साधारण प्रकृति की थी, जो सात दिवस में ठीक हो सकती थी। उक्त चोटों परीक्षण करने के 7 घंटे के पूर्व की थी। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार दिनांक-22.02.2011 को आहत मुकेश को चोट आना प्रमाणित हो रहा था, परंतु देखना यह है कि क्या यह चोट आरोपी द्वारा उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर आहत को कारित की गई थी या नहीं। प्रकरण में आरोपी द्वारा मृतक देवेन्द्र की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8

को स्वीकार की गई है, जिससे मृतक देवेन्द्र की मृत्यु होना प्रमाणित हो रहा है, परंतु पुनः देखना यह है कि मृतक की मृत्यु आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाने के फलस्वरूप हुई थी। विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के निष्कर्ष में न्यायालय ने यह नहीं पाया है कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था और उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध में दोषमुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आरोपी रंजित द्वारा आहत मुकेश को कारित उपहति तथा मृतक देवेन्द्र की मृत्यु कारित करने के तथ्य भी प्रमाणित नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में आरोपी का भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 एवं 304ए का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 एवं 304 ए के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 का निष्कर्ष :-

11- प्रकरण में मुकेश ने यह कहा है कि दुर्घटना के समय आरोपी सामने की दिशा से मोटरसाईकिल से आया था और तेज रफ्तार से उसे टक्कर मारी थी। साक्षी ने आरोपी किस क्रमांक की मोटरसाईकिल चला रहा था, यह बात अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं कही है। विवेचक जगदीश गेडाम अ.सा.7 के कथन में विचार किया जावे तो उसने कहा है कि आरोपी के आधिपत्य से वाहन क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त वाहन का बीमा नहीं होने से मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 की धारा बढ़ाई गई थी। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि मोटरसाईकिल की जप्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी-3 अनुसार नहीं की गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि मोटरसाईकिल के संबंध में दस्तावेज घटना के डेढ़ माह बाद जप्त किये गए थे। विवेचक साक्षी जगदीश गेडाम अ.सा.7 के कथनों पर विचार किया जावे तो उसके कथनों का समर्थन साक्षी प्रदीप अ.सा.4 तथा भाउदास अ.सा.5 ने नहीं किया है और कहा है कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्तशुदा मोटरसाईकिल विक्टर क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 उसके सामने जप्त नहीं की गई थी। फरियादी आहत मुकेश पटले अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दुर्घटना किस वाहन से हुई थी, यह बात प्रमाणित नहीं की है। किसी भी अन्य चक्षुदर्शी साक्षी ने दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 से होने की बात अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित नहीं की है और न ही इस संबंध में विवेचक द्वारा की गई जप्ती की कार्यवाही किसी साक्षी से अभिलेख पर प्रमाणित हो रही है। यहां तक की साक्षी मुकेश पटले जो घटना में आहत है ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि विक्टर मोटरसाईकिल जिसका क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 था, उसके सामने जप्त नहीं की गई थी। इस प्रकार दुर्घटना वाहन क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 से ही हुई थी, जिसका दुर्घटना

दिनांक को बीमा नहीं था, यह बात जप्ती की कार्यवाही तथा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जावेगा कि आरोपी दुर्घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी-50/बी.ए-5082 चला रहा था, जिससे दुर्घटना हुई थी, ऐसी स्थिति में आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

12- प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

13- प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

14- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक-एम.पी-50/बी.ए-5082 रंजित जोहन पिता जोहन हरपाल, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम उकवा, थाना रूपझर, जिला-बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट